

प्रपत्र १ (ब)

1. प्रस्तावित समिति का नाम.....जनपद.....
 २. सदस्यों की कुल संख्या.....कारीगर.....
 गैर कारीगर.....

३. समिति अपने उद्योग को किस प्रकार चलायेगी ?
 (उत्पादन से लेकर बिक्री तक पूर्ण विवरण दें)

४. हिस्से की धनराशि जो एकत्र की गई ह०

५. समिति के व्यवसाय को वर्धनक्षम रूप से चलाने के लिये (ह०)
 वित्तीय विनियोग की धनराशि (प्रस्तावित योजनानुसार)

६. कालम ४ एवं ५ की धनराशि के अन्तर को किस
 प्रकार पूरा किया जायेगा ? (धनराशि)

७. सरकार उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड या अन्य
 किसी वित्तीय एजेंसी से सहायता प्राप्त न होने की
 स्थिति में भी क्या समिति कालम नं० ५ में वांछित
 धनराशि की व्यवस्था कर सकेगी ! यदि हां तो
 किस सीमा तक ? (ह०)

८. क्या समिति के उत्पादन कार्य में किसी नियंत्रित कच्चे
 माल की आवश्यकता पड़ेगी उसका विवरण दिया जाय ।

नाम कच्चा माल	कच्चे माल की मात्रा जो प्रत्येक तिमाही में	अनुमानित मूल्य
१-		
२-		
३-		
४-		
५-		

९. उक्त नियंत्रित कच्चे माल की व्यवस्था समिति कैसे करेगी ?

१०. क्या समिति फंक्ट्री एक्ट के अन्तर्गत आयेगी ?

११. समिति को अपने व्यवसाय से किस सीमा तक वार्षिक
 लाभ की सम्भावना है ?

१२. समिति द्वारा उत्पादित माल की बिक्री की क्या
 व्यवस्था होगी ?

- १- बिक्री बिक्री केन्द्र खोलकर
 २- खुले बाजार में

१३. उत्पादित माल की खपत का क्षेत्र : (क) १ RPR

जनपद.....बाजार.....

१४. क्या कच्चे माल लाने और बने माल के स्थानान्तरण के लिये उपयुक्त परिवहन व्यवस्था उपलब्ध है ?

अस्थाई संचालक मण्डल के सदस्यों के नाम और पते

नाम सदस्य	पूर्ण पता			हस्ताक्षर
	गाँव/मुहल्ला म० न०	पन्नालय	जनपद	
१-				
२-				
३-				
४-				
५-				
६-				
७-				
८-				
९-				
१०-				
११-				
१२-				
१३-				
१४-				
१५-				

मुख्य प्रवर्तक

सदस्य सचिव

हस्ताक्षर एवं पते प्रमाणित
प्रबन्धक (ग्रामोद्योग)/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी